भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTA

820073

AUG 2008

श्री गणेशाय नमः

किस्म दस्तावेज- बैनामा।

1- भूमि का प्रकार- कृषिक।

2- मौजा/परगना- मौजा [illegible] तहसील व जिला आगरा।

3- आराजी का विवरण- खाता संख्या 254, खसरा संख्या 770 में से।

4- आराजी का प्रकार- कृषिक।

5- विक्रीत जमीन का क्षेत्रफल- 6.3450 हेक्टेयर में से 0.2000 हेक्टेयर।

6- प्रतिफल की धनराशि- 28,00,000/-रुपया।

For Nand Estate Developers (P) Ltd.

...d Eye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

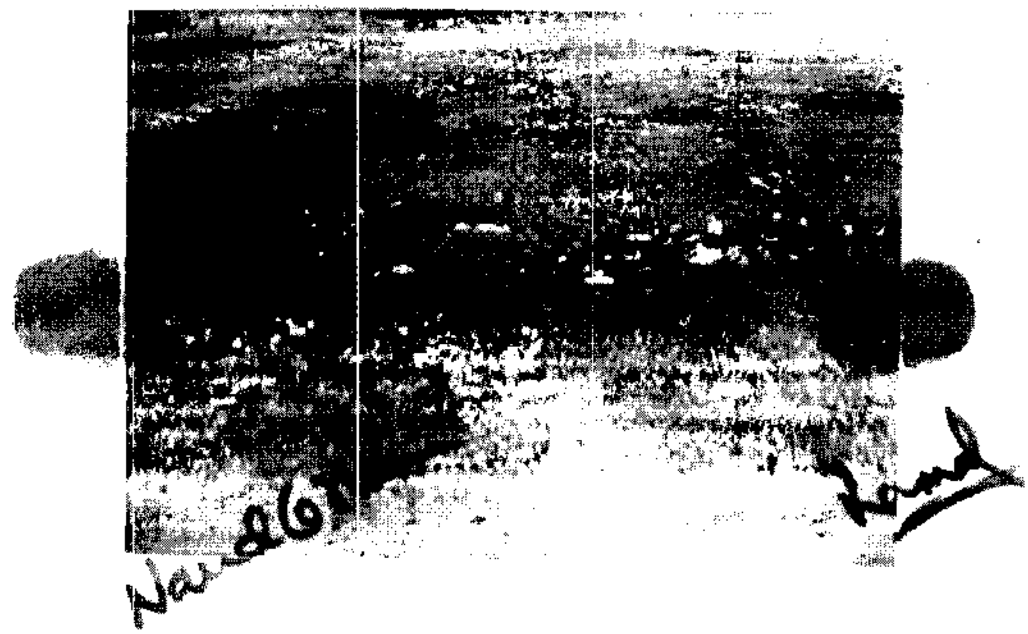

न्यायालय ना0तहसीलदार (कुण्डौल) आगरा ।

वाद सं0 13/2008 2009

अन्तर्गत धारा 34 एल0आर0एक्ट

थर्ड आई मीडिया प्रा0 लि0 बनाम नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा0लि0

मौजा–लकावली

तहसील व जिला आगरा

आदेश

यह वाद लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट पर इस निवेदन के साथ प्रेषित हुआ है कि मौजा लकावली में गाटा संख्या 770 रकवा 6.3450 है0 में से आंशिक रकवा 0.2000 है0 का बैनामा थर्ड आई मीडिया प्रा0 लि0 आगरा ने नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा0 लि0 आगरा से कराया है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में नामांतरण कर दिया जावे ।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया मियाद के बाद कोई आपत्ति दाखिल नही हुई है । साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल की आख्या मय नकल खतौनी दाखिल हुए है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं लेखपाल की आख्या से स्पष्ट है कि विक्रेता सं0भू0 है, अनु0जाति का सदस्य नहीं है। विक्रेता ने अपने उक्त गाटे के अपने नियत अंश में से आंशिक रकवा 0.2000 है0 का उपरोक्तानुसार बैनामा किया है। क्रेता के पास क्रयशुदा भूमि सहित परिवार में साढे बारह एकड से कम भूमि है। मौके पर कब्जा क्रेता का है। जमीं0 विनाश अधि0 की धारा 154, 157ए का उल्लंघन नहीं हुआ है। साक्ष्य पूरा है। वाद निर्विवाद है।

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा लकावली तहसील व जिला आगरा की खाता सं0 254 के गाटा संख्या 770 रकवा 6.3450 है0 के विक्रेता के यथोचित भाग में से आंशिक रकवा 0.2000 है0 भूमिकर अनुसार रकवा देय से नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा0 लि0 आगरा द्वारा डायरेक्टर नन्दकिशोर मंघरानी पुत्र दामोदरदास नि0 डी0–67 कमलानगर आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर थर्ड आई मीडिया प्रा0 लि0 द्वारा प्रतिनिधि कमल किशोर विज पुत्र भगवानदास विज नि0 एफ0–885 कमलानगर शहर आगरा का नाम बतौर सह0 सं0 भू0 द्वारा बैनामा दिनांक 4.10.2008 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 6-11-08

ना0तहसीलदार(कुण्डौल),
आगरा ।

भारत गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7- सरकारी सरचार्ज- 6,00,000/-रुपया।

30,20,000/-रुपया प्रति हेक्टेयर।

8- [illegible] मेंट- [illegible]

9- [illegible] 1,96,000/-रुपया।

आराजी के अन्तरण में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा [illegible] [illegible] नहीं हो रहा है विक्रीत आराजी [illegible] के साथ [illegible] होने पर शासन के आदेश संख्या 2756 दिनांक [illegible]-2008ई. के अनुसार [illegible] 7 प्रतिशत देय है कि जो नियमानुसार अदा किया गया है विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर है जो [illegible] क्षेत्र में है।

For Nand Estate Developers (P) Ltd.

For [illegible] Eye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

Authorised Representative

Suresh Kansal S/o Sri R.L. Agarwal

96 Gandhi Nagar Agra

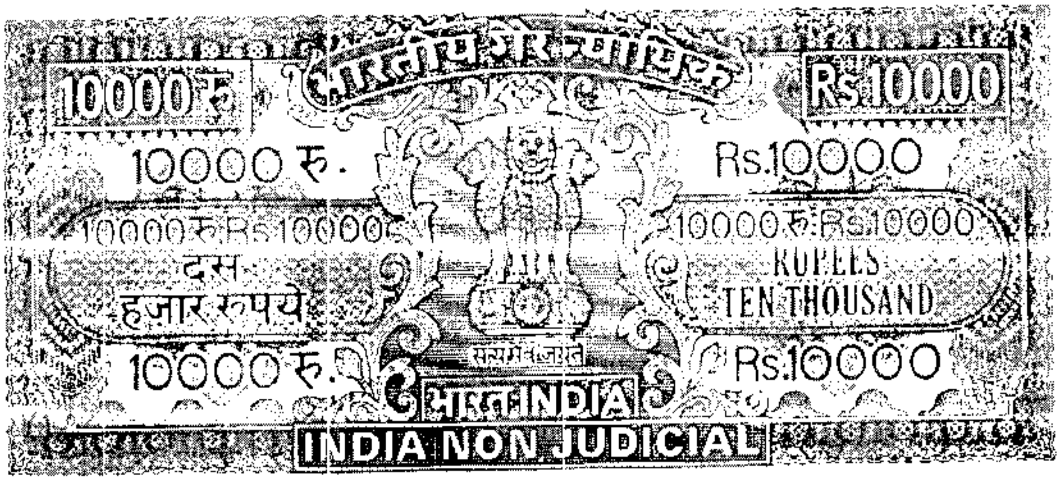

-3-

[illegible] मै. नन्द स्टेट डवलपर्स (प्रा.) लि. द्वारा डायरेक्टर श्री नन्द किशोर मीरानी पुत्र श्री दामोदर दास मीरानी निवासी बी-67 [illegible] ---------- विक्रेता (प्रथम पक्ष)।

एवं

[illegible] आई मीडिया प्रा. लि. द्वारा [illegible] श्री [illegible] पुत्र श्री भगवान दास [illegible] निवासी एफ-885 [illegible]
-------------- क्रेता (द्वितीय पक्ष)।

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.
[signature]
Director

[illegible] Eye Media Pvt. Ltd.
[signature]
Auth. Signatory

[illegible] स्टाम्प Rs........ [illegible]

निबन्धन

2,800,000.00	600,000.00	5,000.00	20	5,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री श्रीमती नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. प्रस्तुतकर्ता सुरेश [illegible]

पुत्र पत्नी श्री पी.एल. अग्रवाल

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी गांधी नगर आगरा

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 4-10-2008 समय 6:31PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया

मेवा लाल पटेल प्रभारी

उपनिबन्धक (प्रथम)

आगरा सदर

4-10-2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. प्रस्तुतकर्ता सुरेश कंसल

पुत्र/पत्नी श्री पी एल अग्रवाल

पेशा व्यापार

निवासी गांधी नगर आगरा

क्रेता

श्री/श्रीमती थर्ड आई मीडिया प्रा.लि. द्वारा कमल किशोर

पुत्र/पत्नी श्री भगवान दास विज

पेशा व्यापार

निवासी कमला नगर आगरा

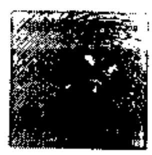

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

चूँकि [illegible] आराजी [illegible] तहसील [illegible]

की खसरा संख्या 254 [illegible] 770 रकबा 6.3450 हेक्टेयर [illegible]

[illegible]

[illegible] कुल आराजी में से 2.504 हेक्टेयर [illegible]

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

[illegible] Eye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

ने निष्पादन स्वीकार किया

जिनकी पहचान श्री अशोक कुमार
पुत्र श्री राम बाबू
पेशा व्यापार

निवासी रूई की मण्डी आगरा

व श्री प्रेम सिंह
पुत्र श्री सुन्दर लाल
पेशा व्यापार
निवासी गूलर का नगला बोदला आगरा

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है

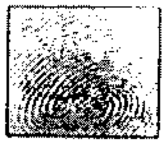

मया लाल पटेल प्रभारी
उपनिबन्धक (तृतीय)
आगरा सदर

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

08 AUG 2009

कोषाधिकारी

-5-

को तीन किता पंजीकृत बैनामों द्वारा प्राप्त पत्र से क्रय करके [illegible]नुसार राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का दाखिल खारिज करा[illegible] प्राप्त पत्र [illegible] [illegible] प्रतिशत की संकुचित भूमि [illegible] [illegible] और क्रय की गयी भूमि [illegible]

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

[illegible] Eye Media Pvt. [illegible]

Auth. Signatory

विक्रेता

Registration No 6881 Year 2008 Book No

0101 नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. प्रस्तुतकर्ता सुरेश कसल

पी.एल अग्रवाल

गांधी नगर आगरा

व्यापार

10000 रु. Rs.10000

भारतीय गैर न्यायिक

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 120[illegible]

भूमि हेतु डिलीवरी को दिया जा रही है इस प्रकार यहाँ [illegible]
विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी इस प्लाट मालिक व [illegible] नहीं [illegible] है विक्रेता
विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी के अतिरिक्त कोई हकदार व हिस्सेदार मौजूद नहीं है
[illegible] में किस प्रकार के [illegible]

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

[illegible] Eye Media Pvt. Ltd

Auth. Signatory

क्रेता

Registration No 6881 Year . 2008 Book No. 1

0201 थर्ड आई मीडिया प्रा लि द्वारा कमल किशोर

भगवान दास मिश्र

कानपुर नगर आर

व्यापार

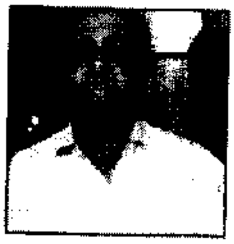

15000 भारतीय गैर न्यायिक 15000

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

For Nand Estate Developer's [illegible]

Director

Third Eye Media Pvt. Ltd

Auth. Signatory

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 100982

-8-

प्रथम पक्ष को रुपयों की जरूरत है और जरूरत की पूर्ति करने के लिये उपरोक्त कुल आराजी में से 0.2000 हेक्टेयर आराजी का विक्रय करना मंजूर व तस्लीम है।

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से मूल मोल व

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Nand [signature]

Director

...kye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

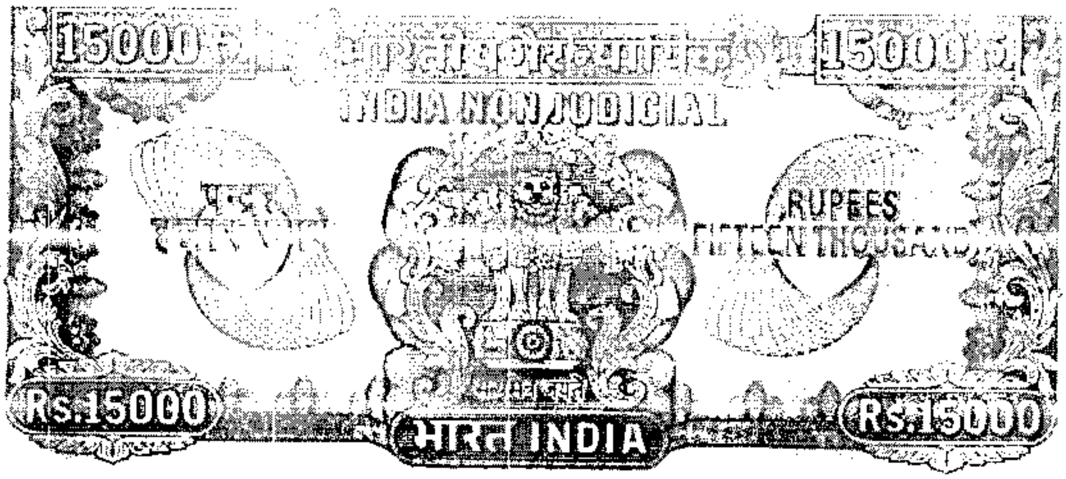

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 100981

-9-

[illegible] बिना [illegible] व [illegible] व बिना [illegible] किसी [illegible] के [illegible] [illegible] अधिकार व [illegible] व बिना [illegible] [illegible] [illegible]

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

Third Eye Media Pvt Ltd

Signatory

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 100950

-10-

मुबलिग 28,00,000/-अट्ठाईस लाख रुपया कि आधे जिसके मुबलिग 14,00,000/-चौदह लाख रुपया होते है [illegible] प्रा. लि. द्वारा प्रतिनिधि [illegible] निवासी एफ-885 कमलानगर शहर आगरा उपरोक्त [illegible] को

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

Third Eye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 Rs.15000

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]

-11-

सेल डीड की और सेल डीड तथा कीमत का कुल रुपया 28,00,000/-
[illegible] प्रथम पक्ष ने खरीददार द्वितीय पक्ष से [illegible] के द्वारा [illegible]
[illegible] लिया है जिसका प्रथम पक्ष [illegible]
[illegible] बाकी नहीं रहा है [illegible]

For Sand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

Third Eye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 100978

JUL 2008
कोषाधिकारी
आगरा

-12-

लिहाजा कब्जा दखल मालिकाना विक्रीत जमीन के मौके खाली पर प्रथम पक्ष ने खरीदार द्वितीय पक्ष का करा दिया और खरीदार को उक्त जमीन का पूर्ण मालिक व काबिज बना दिया है आज के बाद खरीदार को हक व अधिकार है कि वह उक्त जमीन में हस्ब मर्जी अपने चाहे जैसी कारत वगैराह करें उसका लाभ उठावें जरिये तहसील राजस्व से अपने नामका दाखिल खारिज

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

Third Eye Media Pvt. Ltd.

Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कराने नक्शा तस्दीक कराने [illegible] को [illegible] में एक [illegible] में [illegible] भाग में [illegible] विक्रय [illegible] जो नाके से करें यह कोई [illegible] [illegible] आरक्षित [illegible] है [illegible] सरकार [illegible] अधिग्रहित नहीं किया गया है ना ही कोई मुआवजा लिया गया है ना ही किसी रूप में [illegible] घोषित किया गया है।

विक्रीत आराजी में तथा उसके आस पास 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं है विक्रीत आराजी में कुआँ पेड़ पौधा बोरिंग निर्माण आदि नहीं है।

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

[signature]

Director

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-14-

विक्रीत जमीन की सरकारी मालियत 8,00,000/-रुपया बनती है [illegible]
पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से 1,96,000/-रुपया का स्टाम्प
अदा किया जा रहा है जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं है।

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

Auth. Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] हैं व तरह दावेदारी किसी [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] खरीदार से [illegible] [illegible] [illegible] कुल की [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करने [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] 2 की [illegible] 1 मैं 6,00,000/- [illegible] है व [illegible] 2 में [illegible] [illegible] है [illegible] 30,00,000/-रुपया प्रति हेक्टेयर लिखा है व [illegible] 14 की [illegible] [illegible] में 6,00,000/-गलत है व खरीद कीमत गलत है व [illegible] 2 में [illegible] गलत है जो [illegible] है।

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Director

[illegible]

कार्यालय उपनिबन्धक आगरा

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन में विक्रेता / क्रेता के फिंगर प्रिन्ट्स

1— विक्रेता का नाम व पता — [illegible]

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बायें हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

2. क्रेता का नाम व पता — [illegible]

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बायें हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

एक किता आराजी खसरा सं० 770 खाता सं० 256 मौजा लकावली तह० व जिला आगरा

विक्रेता :- नन्द स्टेट डवलपर्स (प्रा०) लि० द्वारा डायरेक्टर श्री नन्द किशोर मंधरानी

क्रेता :- थर्ड आई मीडिया (प्रा०) लि० द्वारा प्रतिनिधी श्री कमल किशोर मिश्रा

नक्शा :- खसरा सं० 770 में से 0.2000 है० लाल रंग में दर्शाया है।

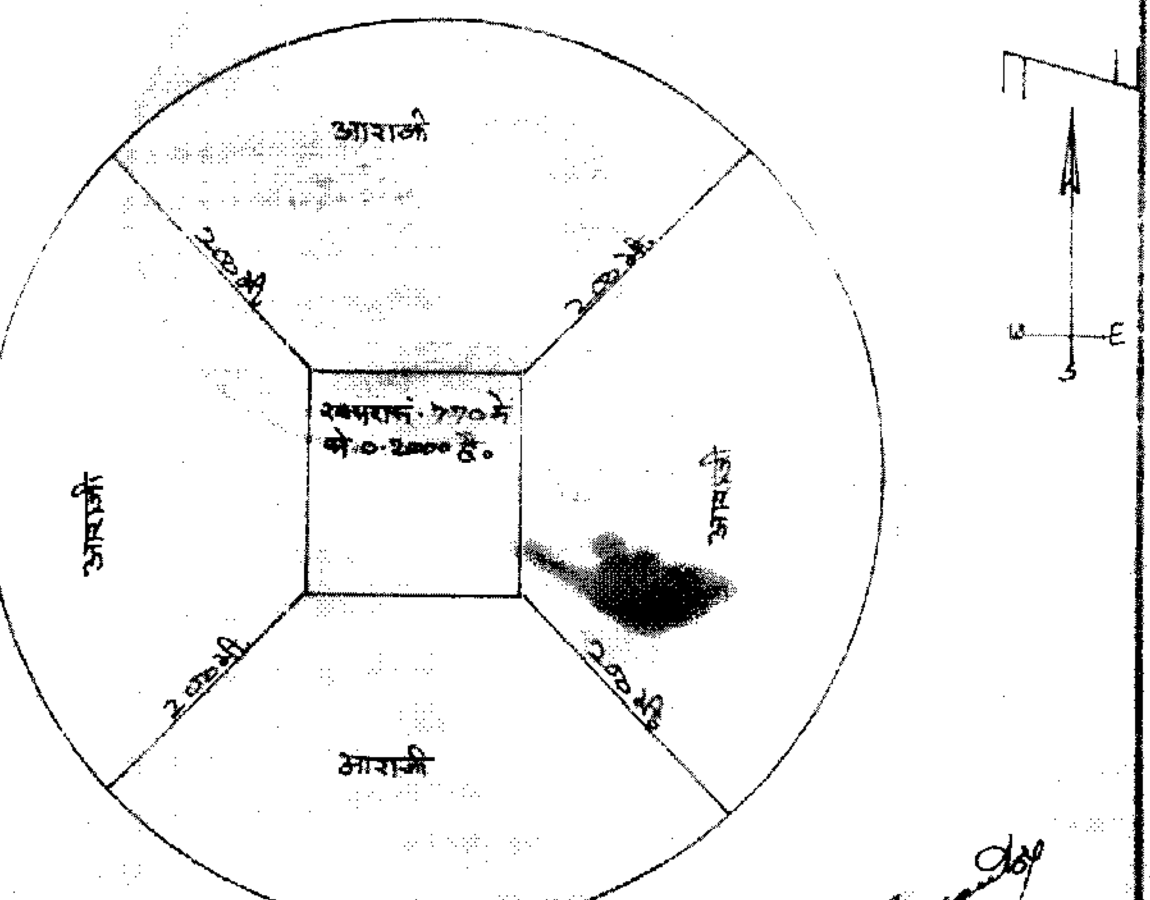

For [illegible] Estate Developer's (P) Ltd.

Nand Kishore (signature)

Third Eye Media Pvt. Ltd.

Signatory

A. KUMAR

L. No. [illegible]/99

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 7 AUG 2008

कोषाधिकारी

आगरा

[illegible] हस्ताक्षर किया गया कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

तहरीर तारीख 23-08-2008ई. व मसौदा सुरेश कुमार एडवोकेट सदर तहसील [illegible] अहलमद हाजिर पक्षकारान के कहे अनुसार तहरीर व टाईप की गयी है दस्तावेज पर लगाया फोटो व हस्ताक्षरों की शिनाख्त गवाहों ने की है।

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Third Eye Media Pvt. Ltd.

Auth. Signatory

गवाह- [illegible]

[illegible]

[illegible] 5/580 [illegible]

आगरा

अशोक कुमार

गवाह-

[illegible] S/o [illegible]

[illegible]

[illegible]resh R. Agrawal

Advocate

Sadar Tehsil AGRA

आज दिनांक 04/10/2008 को

बही सं 1 जिल्द सं 2247

पृष्ठ सं 155 से 190 पर क्रमांक 6881

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मेया लाल पटेल प्रभारी

उपनिबन्धक (तृतीय)

आगरा सदर

4/10/2008